उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 34996 /सी–1/एन0ओ0सी/जी–834/2013. 18 दिनांक 3-1-14

सेवा में,

मैसर्स महा लक्ष्मी बिल्डटेक लिमिटेड,
एच0 ओ0 महालक्ष्मी माल, सी–2, आर0 डी0 सी0 राजनगर,
गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनॉक–5/8/2013 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा कृपया अवगत हों कि उद्योग को पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तो एवम् सामन्य शर्तो (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल:– महा लक्ष्मी रियल टेक प्रा0 लि0,
ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, आवासीय पर्ल–58,
खसरा नं0 4,5,51, ग्राम सिकरोड, एन0 एच–58,
गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : 518 फ्लैट की आवासीय परियोजना, कम्युनिटी सेन्टर, क्लब आदि का निमार्ण

(ग) मुख्य कच्चे माल :. – बिल्डिंग मेटेरियल,

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः– 180 के0 एल0 डी0

(ड.) प्रयुक्त ईधन :– डी0 जी0 सेट में डीजल आवश्यकतानुसारन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोंट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवी तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नही करे जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवम् वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नही करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का परीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5– घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा 180 के0 एल0 डी0 से अधिक नही होगी। प्रस्तावानुसार एस.टी.पी के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित किया जाये।

6– प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय में **14.6.2014** तक अवश्य प्रस्तुत की जाये।

७– मैसर्स महा लक्ष्मी रियलटेक प्रा० लि०, पर्ल–५८, आवासीय परियोजना खसरा नं० ४,५,५१ ग्राम सिकरोड, एन० एच–५८, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तावित २४२६८.५ वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल , बिल्डअप एरिया ६८४६६.०४ वर्गमीटर भूमि पर ५१८ फ्लैट की आवासीय परियोजना, कम्युनिटी सेन्टर, क्लब आदि का निमार्ण किया जाये ।

८– संस्था प्रस्तावानुसार १८० के०एल०डी० के शुद्धिकरण हेतु २०० के० एल० डी० क्षमता का एस० टी०पी० स्थापित करें। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई, ए०सी०डी०जी० कूलिंग टावर मेकप के रूप में तथा फ्लसिंग हेतु प्रयोग किया जाये।

९– संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०– सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम० एस० डब्लू रूल्स २००० के प्राविधानों के अनुसार किया जाये। म्युनिसीपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबुल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।

११– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रस्तावानुसार चिमनी भी स्थापित की जायें।

१२– संस्था द्वारा नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१३– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१४– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त किया जायें।

१५– यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पॉच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।

१६– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी पत्रांक– एफ–३४१६८/एन०ओ०सी०–जी–८३४/२०१३/०७ दिनांक १८/१२/२०१३ का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवम् सामान्य शर्तो का प्रभावी एवम् संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तो के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में 30.6.2014 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन0ओ0सी0 तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि :

3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद ।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–1)